

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या-469/VII-A-1/2023/09(5)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1- | जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2- | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3- | नोडल प्रभागीय वनाधिकारी | - | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - | सदस्य |
| 6- | श्री कृष्णनन्दु मुण्डल, संयुक्त निदेशक,
पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून | - | सदस्य |

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1- | संबंधित उपजिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2- | संबंधित पुलिस उपाधीक्षक | - | सदस्य |
| 3- | संबंधित सहायक वनाधिकारी जो एस0डी0ओ0 से न्यून हो | - | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - | सदस्य |
| 6- | संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान | - | सदस्य |

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायेगें।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

398 E-Mail ID-dehradundm@gmail.com

PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या / खनिज-अनु0/2023

दिनांक 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- 1- उपजिलाधिकारी सदर/डोईवाला/ऋषिकेश/विकासनगर/मसूरी/कालसी को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 2- समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस), जनपद-देहरादून।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता/कालसी/देहरादून/मसूरी।
- 4- जिला खान अधिकारी, देहरादून।
- 5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
- 6- उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या-469/VII-A-1/2023/09(5)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1- | जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2- | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3- | नोडल प्रभागीय वनाधिकारी | - | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - | सदस्य |
| 6- | श्री कृष्णनन्दु मुण्डल, संयुक्त निदेशक,
पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून | - | सदस्य |

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1- | संबंधित उपजिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2- | संबंधित पुलिस उपाधीक्षक | - | सदस्य |
| 3- | संबंधित सहायक वनाधिकारी जो एस0डी0ओ0 से न्यून हो | - | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - | सदस्य |
| 6- | संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान | - | सदस्य |

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायेगें।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

398 E-Mail ID-dehradundm@gmail.com

PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या / खनिज-अनु0/2023

दिनांक 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- 1- उपजिलाधिकारी सदर/डोईवाला/ऋषिकेश/विकासनगर/मसूरी/कालसी को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 2- समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस), जनपद-देहरादून।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता/कालसी/देहरादून/मसूरी।
- 4- जिला खान अधिकारी, देहरादून।
- 5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
- 6- उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।